न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/527

1. रतनी पुत्री सोन्या पत्नी मोडूलाल जाति माली निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
2. रामजानी पुत्री सोन्या पत्नी जुगल जाति माली निवासी मालीपाडा सरायजी गणेश जी के पास लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. बृजमोहन आत्मज सोन्या जाति माली निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. रामपाल आत्मज सोन्या जाति माली निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. आईसीआईसी आई बैंक शाखा सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकुमार दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 19.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।'.

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा नम्बर 45 रकबा 2.11 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 5/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी कम 01 का हिस्सा 5/12 व प्रतिवादी कम 2 से 3 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निहित है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड सहखातेदारी में दर्ज होने के कारण वादी को कृषि विकास कार्य हेतु बैंक, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में कठिनाई हो रही है । इसलिए वादी को वादग्रस्त आराजी में से अपना हिस्सा 5/12 पृथक कराना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 2.11 हैक्टर में निहित वादी का हिस्सा 5/12 का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाकर वादी का खाता अलग किया जावे एवं तद्नुसार नक्शा ट्रेस में वादी के हिस्से में आने वाली कृषि भूमि को तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे बंटवारा होने के बाद वादी के हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें और न ही जबरन कब्जा करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.07.2015 के द्वारा राजीनामे के आधार पर वाद वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 2 व 3 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता सोन्या के उपरान्त उक्त भूमि उनकी माता ग्यारसी बाई के नाम खातेदारी में दर्ज आयी थी । ग्यारसी बाई के देहान्त के बाद नामान्तरकरण खोलते समय हल्का पटवारी हल्का रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के पक्ष में 5/6 हिस्से पर नामान्तरकरण दर्ज कर दिया और अपीलान्ट का मात्र 1/6 हिस्से पर ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकि उक्त भूमि में सभी पक्षकार समान भाग के सहखातेदार होने से सभी का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का जवाब एवं साक्ष्य लिये बिना ही कैम्प कोर्ट में खाली प्रारूप पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाकर कह दिया कि आप उक्त भूमि में सभी का 1/4 – 1/4 हिस्सा विभाजन कर दिया जावेगा तबकि न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एंव डिक्री में रेस्पोडेन्ट का 5/6 तथा अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा ही दर्ज करने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.10.2015 को हल्का पटवारी के पास नकल लेने जाने पर जानकारी हुई कि उक्त भूमि का विभाजन रेस्पोडेन्ट के पक्ष में 5/6 हिस्सा तथा अपीलान्ट के पक्ष में 1/6 हिस्से में बंटवारा करने का आदेश पारित किया है जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा

और रेस्पोडेन्टगण का 5/6 हिस्सा मानकर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जबकि पक्षकारान ने उक्त भूमि में सबका समान हिस्से के सहखातेदार होने से सभी का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से हिस्से निर्धारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रामपाल ने एक वाद विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था इस दावे में पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा पेश किया और अधीनस्थ न्यायालय ने बरूए राजीनामा इस दावे को डिक्री करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है । राजीनामे में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा पृथक से दर्ज करने की सहमति दी थी और अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है ।

11. पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी में वादी रामपाल और प्रतिवादी बृजमोहन का 5/6 हिस्सा और रतनी, रामजानी पुत्रियॉ सोन्या हिस 1/6 दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने 5/12 पृथक से दर्ज करने के आदेश दिये हैं । अपीलान्टगण ने अपील में यह कथन किया है कि उनका हिस्सा 1/6 नहीं वरन् 1/4 – 1/4 है परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में उन्होंने ऐसा कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है जिसमें उनका हिस्सा 1/4 – 1/4 अंकित हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 और संवत् 2071–74 संलग्न हैं उसमें रामपाल और बृजमोहन का 5/6 हिस्सा दर्ज है । यह हिस्सा गलत दर्ज दर्ज किया गया है, इसको प्रमाणित करने के लिए वादी अपीलान्ट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । वादी अपीलान्ट ने ऐसी कोई नकल जमाबन्दी भी पेश नहीं की है जिसमें कि वादग्रस्त आराजी सोन्या के तन्हा खाते में दर्ज हो । यद्यपि अपील में रेस्पोडेन्ट बृजमोहन का जवाब संलग्न है जिसमें 1/4 – 1/4 हिस्सा अपीलान्टगण का रखने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे को बरूए राजीनामा डिक्री किया गया है और राजीनामा समस्त पक्षकारान के द्वारा हस्ताक्षरित और तस्दीकशुदा है । राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं होती है । अपीलान्टगण ने यह कथन किया है कि खाली प्रारूप पर उनके हस्ताक्षर करवाए गये हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपना कथन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है ।